न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 240/2025

श्रीमति द्रोपती देवी **बनाम** **प्रकाश आदि**

दावा बाबत् घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं
सपंठित धारा 151 सीपीसी

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 2) :– एडवोकेट महेन्द्र कुमावत, महेश कुमावत, स्वीटी चौहान
वकील अप्रार्थी (वादिया) :– एडवोकेट राजेश पुनियां

निर्णय

निर्णय दिनांक 30/4/26

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संक्षेप में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी इस आशय से पेश किया है कि वादिया को अपने वादपत्र की मद संख्या 13 की उपमद "क" में स्पष्ट लिखा है कि "वाद वादिया का डिक्री किया जकार हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 0.18 है0 राजस्व रिकॉर्ड टोडी तहत तहसील गुढागौड़जी में से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 8 व 9 प्रत्येक को 1/6 हक हिस्सा के खातेदार घोषित किया जावे" तथा उक्त अनुसार बंटवारा किया जावे " तथा उप मद "ख" में स्पष्ट लिखा है कि "प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जमीन हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 0.18 है0 राजस्व ग्राम टोडी तहत तहसील गुढागौड़जी में निर्माण नहीं करें, विक्रय नहीं करें, वादिया के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे, मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।" वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से भूमि हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 1.18 है0 के राजस्व रिकॉर्ड की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। वादिया ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 13 की उपमद संख्या "ख" में कृषि भूमि का अंकन किया है। जबकि मौके पर उक्त भूमि रिहायश के काम आ रही हैं। दावा के समर्थन में प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से विवादित भूमि कृषि भूमि न होकर स्पष्ट रूप से गै. मु. आबादी भूमि दर्ज है। जो उक्त प्रकरण राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हैं। माननीय न्यायालय को राजस्व/सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आबादी भूमि का क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार नहीं है। वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज होने योग्य है। अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादिया का श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार क्षेत्र का नहीं होने से तथा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी/वादिया ने प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का जबाव पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 की जबावकी आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से दर्ज है, स्वीकार नहीं है। इस मद में जमीन हाल खसरा नम्बर 183 का रकबा 1.18 है0 की बजाय 0.18 है0 है। राजस्व रिकॉर्ड में किसी जमीन की किस्म मात्र गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने से वह जमीन गैर मुमकिन आबादी नहीं कही जा सकती जब तक उस कृषि भूमि का आबादी में संपरिवर्तन नहीं करवाया गया हो। इस मद में शेष दर्ज तथ्य अस्वीकार है। जमीन मौके पर कृषि भूमि के उपयोग में आ रही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। वकील अप्रार्थी ने अतिरिक्त उत्तर देते हुए कथन किया है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 0.18 है0

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

सरहद राजस्व ग्राम टोडी तहत तहसील गुढागौड़जी में स्थित है। उक्त जमीन में वादिया का 1/6 हक हिस्सा है तथा इसी मुताबिक कब्जा काश्त है। कृषि भूमि के बिना आबादी में संपरिवर्तन के यह नहीं कहा जा सकता कि उस जमीन की किस्म गैर मुमकिन आबादी हो। मौजुदा प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागु नहीं होते। क्षेत्राधिकार का विवाद विधि एवं तथ्य का मिश्रित बिन्दु है जिसका निर्धारण बाद कायमी तनकियात एवं बाद साक्ष्य हीं मैरिट पर तय होने का प्रश्न है। क्षेत्राधिकार के अभाव में दावा खारिज नहीं किया जा सकता बल्कि सक्षम न्यायालय में लौटाने हेतु वापिस लौटाया जा सकता है। अन्त में जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रतिवादी लीलाधर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. खारिज किया जावे।

जबावदेही पूर्ण होने पर प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस मय दस्तावेज पेश कर निवेदन किया गया है कि भूमि प्रकृति (Nature of Land) खसरा नम्बर 183 रकबा 0.18 है0 ग्राम टोडी तहसील गुढागौडजी की है। इस भूमि का रूपान्तरण (Conversion) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2000 को कृषि प्रयोजन से आबादी प्रयोजन हेतु किया जा चुका है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी से भी उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के अनुसार "भूमि" का अर्थ केवल कृषि भूमि से है। चूंकि उक्त भूमि वर्ष 2000 में ही आबादी घोषित हो चुकी है। अतः यह अब काश्तकारी अधिनियम की परिभाषा के अनुसार भूमि नहीं रही है। धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत केवल उन दावों की सुनवाई कर सकता है जो अधिनियम की तीसरी अनुसूची में वर्णित है। आबादी भूमि के संबंध में हक की घोषणा, विभाजन का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वादिया द्वारा उक्त वाद वर्ष 2025 में पेश किया गया है। कानून का स्थापित सिद्धान्त है कि क्षेत्राधिकार पेश करने की दिनांक 06.10.2025 की स्थिति से तय होता है। चूंकि वाद पेश करते समय भूमि "आबादी" थी। अतः इस न्यायालय को इस पर डिक्री पारित करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। चूंकि विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। अतः वाद "Barred by Law" (कानून द्वारा वर्जित) होने के कारण आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के तहत खारिज किये जाने योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. आरआरटी 2013(2) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर उनवान रामबाबु बनाम सोहन सिंह अपील टी.ए. संख्या 1168/धौलपुर 2013 निर्णय दिनांक 12.04.2013 पेज नं. 808–811

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दावा हाजा को लम्बीत रखने की नियत से बिना किसी आधार के पेश किया गया है जो खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में वादी के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किये गये संपरिवर्तन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी है। न्यायालय हाजा को तहसील गुढागौड़जी की कृषि भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादपत्र/प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार है। समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा वादी का वाद, विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनू (राज.)